

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

[ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाक्ता दीवानी]  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

टेक चन्द बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 78/2021

निर्णय दिनांक :- 02.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुदरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजु पेश होने पर आदेश दिया  
जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक  
37 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 36/30 में अंकित नाम टेक सिंह  
पुत्र रुपलाल के स्थान पर टेक चन्द पुत्र रुपलाल अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है।  
इस खाता के शेष अंकन व रहन बद्स्तुर रहेगे।

आज दिनांक 02.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की  
मुद्रा से जारी की गई।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
{राजस्व} श्रीकरणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इबूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 413

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
{राजस्व} श्रीकरणपुर

दिनांक: 3/11/21

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
{राजस्व} श्रीकरणपुर

